

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-20/05/2025.

XX
अनौपचारिक
रूप
से परामर्शित।

XX

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2024-25 में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किस्त की ₹ 35.00 लाख (पैंतीस लाख मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 23.35 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 58.35 लाख (अंडावन लाख पैंतीस हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-4520, दिनांक-30.09.2024 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2024-25 में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किस्त की ₹ 35.00 लाख (पैंतीस लाख मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 23.35 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 58.35 लाख (अंडावन लाख पैंतीस हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-I एवं II के रूप में संलग्न।

- इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक-28.04.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु द्वितीय किस्त की ₹ 35.00 लाख (पैंतीस लाख मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में एस०एन०ए०-स्पर्श प्रणाली में विमुक्त की गई है।

3. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹ 35.00 लाख (पैंतीस लाख मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा तथा इसके समानुपातिक ₹ 23.35 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 58.35 लाख (अंड्ठावन लाख पैंतीस हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति किया जाना है।
4. इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :-
 - (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय—मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 —अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष-0219 —नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०), विपत्र कोड 02-2405001010219 का विषय शीर्ष-0219.33.01 —सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय—मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 —अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष-0319 —नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405001010319 के विषय शीर्ष-0319.33.01 —सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा शेष राशि पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के प्राप्त कर किया जाएगा।
 - (ii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि की व्यय—मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 —अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0201 —नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405007890201 के विषय शीर्ष-0201.33.01 —सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय— मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 —अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0301 —नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405007890301 के विषय शीर्ष-0301.33.01 —सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
 - (iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय—मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 —जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0201 —नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01

—सब्सिडी मद में उपबंधित से किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय—मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—796 —जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष—0301 —नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02—2405007960301 के विषय शीर्ष—0301. 33.01 —सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा शेष राशि पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के प्राप्त कर किया जाएगा।

5. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा—निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।
6. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म०यो०—17/2020—107, दिनांक—27 जनवरी, 2021, म०यो०—17/2020 (खंड—I)—1337, दिनांक—8 जुलाई, 2022, म०यो०—17/2020 (खंड—I)—527, दिनांक—30 मार्च, 2024 तथा म०यो०—17/2020 (खंड—I)—267, दिनांक—15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।
7. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा “Just-in-Time” release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक—13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा—निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।
8. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०—एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम०आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई—कुबेर प्लेटफॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।
9. Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

10. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० योजना-08/2021-313, दिनांक-02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
11. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।
12. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर-जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
13. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।
14. योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2025-26 तथा आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।
15. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
16. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
18. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
19. यह स्कीम केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)28/2024 के पृष्ठ-25/टि०, दिनांक-15.05.2025.

20. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)28/2024 के पृष्ठ-25/टि०, तथा डायरी संख्या-238, दिनांक-15.05.2025.
21. वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20/...05.../2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20/...05.../2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20/...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2201 /पटना-15, दिनांक-...20/...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा/ बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20/...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, (मात्स्यिकी एवं प्रसार), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)28/2024- 2202 /पटना-15, दिनांक-...20.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2024-25) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु के द्वितीय किस्त PMS limited SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृद्ध, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपन्न कोड	शीर्ष विषय	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	8	9
(क)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405001010219 (केन्द्रांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)	0219-33.01-सब्सिडी	22.000	(सभी)	कोषागार, (सभी)
(क)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-2020-21) (पी0एमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405001010319 (राज्यांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)	0319-33.01-सब्सिडी	14.670		
	योग (क)-		36.670		
(ख)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405007890201 (केन्द्रांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अनुसूचित जातियों के लाभकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	0201-33.01-सब्सिडी	8.000		
(ख)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405007890301 (राज्यांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अनुसूचित जातियों के लाभकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	0301-33.01-सब्सिडी	5.340	(सभी)	कोषागार, (सभी)
	योग (ख)-		13.340		
(ग)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405007960201 (केन्द्रांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अनुसूचित जनजातियों के लाभकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	0201-33.01-सब्सिडी	5.000		
(ग)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एमएमएस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405007960301 (राज्यांश), पी0एमएमएस0 कोड- 3890 (अनुसूचित जनजातियों के लाभकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	0301-33.01-सब्सिडी	3.340		
योग (ग)-			8.340		
कुल योग (केन्द्रांश)-(क) + (ख) + (ग)			35.000		
कुल योग (राज्यांश)-(क) + (ख) + (ग)			23.350		
महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)-(क) + (ख) + (ग)			58.350		
(अंदाजित लाख पैरीस हजार रुपये मात्र)					

कोषागार, (सभी)

निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक- II

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृत अवयवों का श्रेणीवार, भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं लाभुक अंशदान की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	अवयव	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल लागत राशि	वित्तीय लक्ष्य		लाभुक अंशदान	अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश		
1	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन (सं०)(इकाई लागत-25.00 लाख)	सामान्य	2	25.00	50.00	12.00	8.00	30.00	
		महिला	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		अनुसूचित जाति	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		कुल	5		125.00	39.00	26.00	60.00	
2	लघु बैकयार्ड अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई (सं०) (इकाई लागत-3.00 लाख)	सामान्य	6	3.00	18.00	4.32	2.88	10.80	
		महिला	3		9.00	3.24	2.16	3.60	
		अनुसूचित जाति	1		3.00	1.08	0.72	1.20	
		अनुसूचित जनजाति	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		कुल	10		30.00	8.64	5.76	15.60	
3	मध्यम अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई (सं०)(इकाई लागत-8.00 लाख)	सामान्य	3	8.00	24.00	5.76	3.84	14.40	
		महिला	2		16.00	5.76	3.84	6.40	
		अनुसूचित जाति	1		8.00	2.88	1.92	3.20	
		अनुसूचित जनजाति	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		कुल	6		48.00	14.40	9.60	24.00	
4	रिक्रिऐशनल मात्स्यिकी का प्रमोशन (सं०) (इकाई लागत-50.00 लाख)	सामान्य	2	50.00	100.00	24.00	16.00	60.00	
		महिला	2		100.00	36.00	24.00	40.00	
		अनुसूचित जाति	1		50.00	18.00	12.00	20.00	
		अनुसूचित जनजाति	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		कुल	5		250.00	78.00	52.00	120.00	
5	फिश किऑस्क का निर्माण (सं०) (इकाई लागत-10.00 लाख)	सामान्य	2	10.00	20.00	4.80	3.20	12.00	
		महिला	1		10.00	3.60	2.40	4.00	
		अनुसूचित जाति	1		10.00	3.60	2.40	4.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		10.00	3.60	2.40	4.00	
		कुल	5		50.00	15.60	10.40	24.00	
6	Category-wise Sub Total	सामान्य			212.00	50.88	33.92	127.20	
		महिला			160.00	57.60	38.40	64.00	
		अनुसूचित जाति			96.00	34.56	23.04	38.40	
		अनुसूचित जनजाति			35.00	12.60	8.40	14.00	
Total					503.00	155.64	103.76	243.60	

2202
20/05/25

सरकार के अपर सचिव